PROF. C LAKSHMANNA: I have my name .. (*Interruptions*) ..

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have no name here ... (*Interruptions*) I do not have any name with me

SHRI P. SHIV SHANKER: As I have yesterday itself explained, there are cases where some persons were appointed Chief Justices for one or two days. I explained that. I also told you that in Delhi I had to agree for appointment of a particular Chief Justice for five days because somebody else was appointed for a day.

I would like to tell you about the appointment of the Chief Justice of the Allahabad High Court that the matter is under consideration in consultation with the Chief Justice of India. I would like to further tell you that after the consultations we would take some decisions. The matter is still under consultations.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will you get it expedited?

SHRI P. SHIV SHANKER: I will do my best.

श्री राम अवधेश सिंह . क्या आप भी ऐसी कम्युनिटी बनाने की बात सोच रहे हैं ? ... (व्यवधान) ..

THE HOSPITALS AND OTHER INSTITUTIONS (SETLEMENT OF DISPUTES) BILL, 1982

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): Madam, I beg to move for leave to withdraw the Hospitals and Other Institutions (Settlement of Disputes) Bill, 1982.

The question was put, and the motion was adopted.

SHRI P. A. SANGMA. Madam, I withdraw the Bill.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: (Bihar): *

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are not going on record.

श्री राम अवधेश सिंह : उप-सभापति महोदय, मैं हमेशा आपकी आज्ञा मानता हूं।

उपसभापति : आपको अच्छे ढंग से बोल रहे हैं तो आप समझने को तैयार नहीं है। कितनी बार आपको बोलने का मौका दिया है ? फिर भी आप बोले जा रहे है।

THE HOSPITALS AND OTHER INSTITUTIONS (REDRESSAL OF GRIEVANCES OF EMPLOYEES) BILL, 1987

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the redressal of grievances of employees in hospitals and certain other institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.

The Question was proposed.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं अस्पताल और

---

*Not recorded.

अन्य मस्थाओ के विधेयक, 1982 के लौटाए जाने और उसके पुनर्स्थापन के बीच मे दो शब्द कहना चाहता हू। मैंने लिखित में दिया था। यह बिल 1982 के अन्त मे लाया गया था। महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार जल्दीबाजी में बार-बार बिल लाए जाते है और जब 6 वर्ष के बाद पता लगता है कि बिल में कमी है तो फिर लौटाते है। फिर प्रस्तावित करते है।

उप-सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अस्पताल के जो कर्मचारी और डाक्टर्स है, उनके साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, यह सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार नही है। मैं डाक्टर्स की बात बताना चाहता हूं। रेजीडेंट डाक्टर्स ने जब हड़ताल की तो उनका वेतनमान 700 रुपए से 2200 रुपए हो गया और रजिस्ट्रार्स का 650 से 3000 रुपए हो गया। लेकिन जिसके अधीन ये लोग थे उन डाक्टर्स का 2200 रुपए रह गया। सी० जी० एच० एस० डाक्टर्स ने जब हड़ताल की और एक एग्रीमेंट हुआ तो दिल्ली कार्पोरेशन ने कांग्रेस के काउंसलर और बी० जे० पी० के काउंसलर ने मिलकर एक समिति बनाकर सिफारिश की कि उसी तरह का वेतन दिया जाय। वह आज तक नहीं हुआ। कमिश्नर बीच मे बैठा हुआ है।

उसी तरह से अस्पताल के जो कर्मचारी राउंड द टेबिल वर्क करते हैं, उन्हें 15–20 मील दूर आना पड़ता है। ऐसी अवस्था में वह कैसे काम कर सकता है? दूसरे जो कर्मचारी टी० बी० से पीड़ित लोगों के साथ काम करते है, रेडियोलोजी या एक्सरे में काम करते हैं, जहां कि हमेशा उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा रहता है। वहां रिस्क एलाउंस नही है। उपसभापति महोदया, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि कर्मचारियों को जो सफाई के लिए साबुन मिलता है या जो नर्सेज वहां पर काम करने वाली हैं उनको साडी धोती मिलती है, जूते मिलते है, लेकिन इस के लिए पैसा इतना कम मिलता है कि उसमें साड़ी या जूते की सफाई नही हो सकती है। तो महोदया, मैं यह कहना चाहता हू कि डाक्टर्स की या वहां के जो कर्मचारी है उनकी जो ग्रीवेंसेस है, वह किस तरह से दूर होगी?

उपसभापति महोदया, श्रम मंत्री महोदया इसीलिए बिल लाते है कि जल्दी से जल्दी इस पर विचार हो, लेकिन यह जल्दबाजी मे नही होना चाहिए और फिर न इसे प्रवर समिति को सौपते है, न संयुक्त प्रवर समिति को सौपते है।

उपसभापति महोदया, मै एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखता हूं, सरकार ने कहा है कि 33 वर्ष की नौकरी के बाद आपको फुल पेंशन मिलेगी। अब डाक्टर या जो विशेष क्वालिफाइड वैज्ञानिक लोग है उन्हें सर्विस में 30–32 वर्ष के होने पर आते है। तो 30 या 33 वर्ष की सर्विस का लाभ भी उनको नहीं मिल पाता है। डाक्टरों को या तो यह लाभ मिलवाइये या विशिष्ट लोगों की तरह उसकी सर्विस भी 60 वर्ष तक कर दी जाय। इस पर विचार करने का उन्होंने कष्ट नही किया। इसलिये मै चाहूंगा कि श्रम मंत्री जी इस पर विचार करें, सुओ-मोटो विचार करें कि वहां कर्मचारियों को आवास की सुविधा हो, उन को रिस्क एलाउन्स मिले। डाक्टरों को ओवर टाइम नहीं मिलता, लेकिन वे राउन्ड दि क्लाक काम करते है। तो आपको सोचना चाहिए कि अस्पताल के कर्मचारियों और डाक्टरों को किस प्रकार की सुविधायें दी जायें ताकि वे अच्छा काम कर सकें। दिल्ली में उनको थोड़ा सा नान-प्रेक्टिसिंग एलाउन्स दे दिया है लेकिन बिहार जैसी जगहों मे उनको हजारों रुपये रोज की आमदनी है। तो इस बिल को विदड्रा करके आप अस्पताल के कर्मचारियों और डाक्टरों के साथ इंसाफ कर रहे है या अन्याय कर रहे है यह समझ मे नही आता। डाक्टरों की जो समस्यायें पड़ी हुई है उनका भी निदान आप नही करते है। मै एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। कार्मसिस्टम ने हमारे जमाने मे एक बडी हड़ताल की थी। हमने उसका समाधान कर दिया था। लेकिन हड़ताल के बीच के समय का जो पैसा है उनका बकाया, वह अभी तक भुगतान नही हो पाया है। तो श्रम मंत्री जी, जो श्रमिकों के बारे मे सदा ही चिंतित रहते है वे उनका भी ध्यान रखे। कही ऐसा न हो

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

कि इस बिल को जो वे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसका भी वही फेट न हो जो कि 1982 वाले बिल का हुआ है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं एक ही जानकारी चाहता हूं और जगदम्बी बाबू ने भी उसको समझाने की कोशिश की है कि 1982 का जो विधेयक प्रस्तुत हुआ था उसको आज 6 साल के बाद वापस लिया जा रहा है और एक दूसरा विधेयक लाया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि क्या कारण थे कि जब यह 1982 का विधेयक प्रस्तुत किया गया था और आज उसको क्यों वापस लिया जा रहा है? और क्या इस नए विधेयक पर यहां चर्चा होगी?

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): To me it is a hearty coincidence. Only yesterday there was a massive rally in Delhi. From all parts of the country people came and they demanded certain things. They also believe that those things cannot be met by the Government. Therefore, they wanted that the present Government may go.

When this Bill was being introduced in the year 1982 I very clearly remember that along with this Bill there were certain other enactments also and the entire Opposition—not only the Left—fought tooth and nail against the introduction of some other Bills also like ESMA and NSA.

Just a few minutes back we have been told about the checks and balances provided in our constitution. We know such checks and balances do exist. We know that it is the victory of the people that this most reactionary Bill is being withdrawn in the House. We also know that as a part of the check and balance, the postal Bill is still awaiting the assent of the President. But my question is not only addressed to the Labour Minister, but also to the Government as a whole. Are they prepared to withdraw or repeal the reactionary Bills like ESMA and NSA or do they want to wait till the Government is overthrown by the people whose sovereignty was recognised only a few minutes back in the House?

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : महोदया, यह बिल जिस ढंग से लाया गया और फिर वापस लिया जा रहा है इससे पता चलता है कि यह सरकार कैसे सोचती है और कितने छिछले ढंग से, समस्याओं की गहराई में न जाकर, अध्ययन किये बिना, मनचाहे ढंग से, तात्कालिक मन की भावनाओं के आवेग से चर्चा उठा देती है...

उपसभापति : आप बीच बीच में इस प्रकार उठ जाते हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं तो उठ जाऊंगा हम तो वाच-डाग हैं। यह तो हमारा काम है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसको वापस ले रही है तो जो दूसरा बिल लाएगी उसका भी हश्र ऐसा न हो कि आधा उसको एक सैशन में पास कर ले, कुछ दूसरे सैशन में पास कर ले और फिर वापस ले ले तमाम बहस होने के बाद। जो कुछ भी करना है सरकार को सोच समझकर करना चाहिए। विरोधी पक्ष के सुझावों को सरकार गंभीरता से ले और इस बिल को वापस लेकर उसमें अपेक्षित सुधार करे। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the redressal of grievances of employees in hospitals and certain other institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI P. A. SANGMA: Madam, I introduce the Bill.

THE APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1987

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): Madam, I move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1987-88, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Bill arises out of the Supplementary Appropriation 'Charged' on the Consolidated Fund of India and Demands voted by the Lok Sabha on December 7, 1987. These involve gross additional expenditure of Rs. 1780.49 crores.

The additional requirement of Rs. 1780.49 crores comprises Rs. 989.86 crores for transfers to State Governments, Rs. 24.03 crores for transfers to Union Territory Governments and Administrations, Rs. 319.77 crores for releases to Public Sector Enterprises, Rs. 434.15 crores for subsidies, Rs. 12.68 crores for other expenditure. The details of the supplementary demands are available in the documents laid on the Table of the House on 30th November, 1987.

The concerned Ministries/Departments have identified matching savings/increased receipts to the extent of Rs. 399 84 crores. Thus the net additional expenditure is Rs. 1380.65 crores out of which Rs. 815.31 crores is related to drought and flood relief to be financed from the resources raised by economy and additional resources measures recently undertaken by the Government. The balance of Rs. 565.34 crores mainly comprises Rs. 300 crores for indigenous fertilisers subsidy, Rs. 181.64 crores for assistance to Punjab, Rs. 50 crores for subsidy to new industrial units set up in selected backward areas and Rs. 16.50 crores for investment in Hindustan Fertiliser Corporation.

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall discuss it after lunch. Now the House stands adjourned for lunch and will meet again at 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at twenty nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock. **The Vice-Chairman, Shri H. Hanumanthappa,** in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We will continue discussion on the Appropriation (No. 5) Bill, 1987. Shri Sunil Basu Ray.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, only two months back, we have passed the first Appropriation Bill and we are again called upon to pass this second Appropriation Bill Now, the net amount that is involved in these two Bills is Rs. 1777 crores and some odd lakhs. But why this necessity of supplementary Budget why this necessity of exercise in net and gross demands? It is because the figures have been worked out as gross demand minus the savings that has been contemplated to a net and minus savings for lunch at twentynine savings are a reflection on the original Budget itself because if the savings are made, then we are to take it that